(2008) 13 एस.सी.आर. 312

ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन पीएलसी और अन्य

बनाम

पेटेंट एवं डिज़ाइन नियंत्रक एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 5588/2008)

सितम्बर 10, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत एवं लोकेश्वर पंटा, न्याधिपतिगण]

पेटेंट अधिनियम, 1970 पेटेंट (संशोधन) अधिनियम 2005; धारा 21 तथा 78 सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897; धारा 6 तथा 2(बी):

पेटेंट - विशिष्ट विपणन अधिकार - प्रासंगिक प्रावधान के निरसन पश्चात् अधिनियम 1970 के अध्याय IV-ए के निरसन का प्रभाव अधिनियम 1897 की धारा 6 की पृष्ठभूमि में देखा जाएगा - उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा न्यायानुसार निर्धारित किया गया कि संशोधित अधिनियम की धारा 78 के प्रावधानों का निश्चित दिवस से पूर्व निष्कर्षित कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं होगा - तथ्यों के अधीन उच्च न्यायलय की खण्ड पीठ का आदेश कायम नहीं रखा जा सकता तथा एकल न्यायाधीश का आदेश लागू होगा।

अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2000 में पेटेंट व विशिष्ट विपणन अधिकार के अनुदान हेतु आवेदन किया गया। पेटेंट नियन्त्रक द्वारा ईएमआर होकर अपीलार्थी द्वारा रिट याचिका दायर की गई। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा प्रकरण को नवीन निर्णय हेतु नियन्त्रक को प्रेषित किया गया। किन्तु नियन्त्रक द्वारा आवेदन को खारिज किया गया। उसी मध्य पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 लागू हुआ जिसके तहत अध्याय IV, जिसमें ईएमआर के दावे के न्याय निर्णय के प्रावधान निहित थे, उसे विलोपित किया गया। अपीलार्थी द्वारा रिट याचिका दायर की गई जिसे स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा प्रकरण नवीन निर्णय हेतु नियन्त्रक को प्रतिप्रेषित किया गया। उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा अधिनियम में किए गए संशोधन के परिप्रेक्ष्य में रिट याचिका की पोषणीयता पर प्रारम्भिक आपत्ती उठाई गई थी, को स्वीकार किया गया। अतः हस्तगत अपील पेश है। अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय ने निर्धारित किया।

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का यह मत कि संशोधित अधिनियम की धारा 78 के प्रावधान का निश्चित दिवस से पूर्व निष्कर्षित कार्यवाही पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। विवाद बिन्दु को विनियमित करने हेतु सही दृष्टीकोण प्रतीत होता है। चूंकि विचाराधीन अध्याय IV-ए को केवल निरस्त कर दिया गया था, अतः स्थिति को सामान्य खण्ड अधिनियम की धारा 6 के

अनुरूप तय किया जाना चाहिए। धारा 78 के प्रावधान सशर्त प्रावधान है और उनका आशय ऐसे प्रकरणों को सम्मिलित करना नहीं है जहाँ संशोधित अधिनियम की धारा 21 के सन्दर्भ में विशिष्ट विपणन अधिकार के लिए आवेदन को खारिज कर दिया गया था। निरसन के प्रभाव को सामान्य खण्ड अधिनियम की धारा 6 की पृष्ठभूमि में देखा जाएगा। खण्ड पीठ के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता तथा एकल न्यायाधीश का आदेश लागू होगा (अनुच्छेद - 9) [319-सी-ई]

मैसर्स हुसैन कासम दादा (इण्डिया) लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य **एआईआर (1953) एससी 221 एवं** *मैसर्स गुरूचरण सिंह बलदेव सिंह बनाम यशवंत सिंह व अन्य* **(1992) 1 एससीसी 428 – सन्दर्भित**

मुख्य न्यायनिर्णयन अधिकारी मैगुइर **(साईमन ब्राउन एलजे) (1999 (2) एआईआर 859) – सन्दर्भित**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5588/2008

कलकत्ता उच्च न्यायालय के 2006 के मैट संख्या 1002 व 1003 में अन्तिम निर्णय एवं आदेश दिनांकित 02.08.2006 से उत्पन्न।

अपीलार्थी की ओर से और.एफ. नरीमन, हरी शंकर कं., श्वतेता श्री मजूमदार एवं विकास सिंह झांगरा।

प्रत्यर्थीगण की ओर से टी.ऐसे. दोआडिया, अल्का शर्मा, वी.के. वर्मा एवं मनप्रीत सिंह दोआड़िया।

न्यायालय का फैसला **न्यायाधिपति डॉ. अरिजीत पसायत** द्वारा पारित किया गया।

1. विचारार्थ स्वीकार।

2. कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांकित 10 फरवरी, 2006 की सत्यता पर सवाल उठाते हुए प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर चार अपीलों में पारित आदेश इस अपील में चुनौती की विषय-वस्तु है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पेटेंट एवं डिज़ाइन नियंत्रक (संक्षेप में 'नियंत्रक') द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28.12.2004 को अपास्त कर प्रकरण को विशेष रूप से रिट याचिकाकर्ताओं के विशिष्ट विपणन अधिकार के आवेदन पर 3 मई, 2002 को मौजूद कानून के परिप्रेक्ष्य में नए निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया था। नियंत्रक को परीक्षक की रिपोर्ट दिनांकित 28.7.2000 पर विचार करने हेतु भी कहा गया था।

3. रिट याचिका दायर करने के लिए पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैः-

रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा 28 अगस्त, 1998 को पेटेंट अधिनियम, 1970 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 5(2) के तहत पेटेंट प्रदान करने के लिए एक आवेदन दायर किया। तत्पश्चात् 30 जून, 2000 को रिट याचिकाकर्ताओं

द्वारा पुनः एक "विशिष्ट विपणन अधिकार" (संक्षेप में 'ईएमआर') प्रदान करने हेतु आवेदन दायर किया।

हालाँकि, पेटेंट नियंत्रक द्वारा आदेश दिनांकित 3 मई, 2002 के माध्यम से रिट याचिकाकर्ताओं की ईएमआर प्रार्थना को अस्वीकार किया गया।

असंतुष्ट होकर उच्च न्यायालय के समक्ष दो विभिन्न रिट आवेदन दायर किए गए - डबल्यूपी संख्या 20469(डबल्यू) 2004 एवं डबल्यूपी संख्या 20407 (डबल्यू) 2004 तथा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आदेश दिनांकित 3 मई, 2002 को अपास्त किया गया एवं संयुक्त पेटेंट नियंत्रक को सभी बिंदुओं को नए सिरे से ईएमआर प्रदान के आवेदन पर विचार करने और आदेश देने हेतु निर्देशित किया गया।

विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश दिनांकित 16 दिसंबर, 2004 के अनुसरण में पेटेंट नियंत्रक द्वारा दिनांक 28 दिसंबर, 2004 को रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन को पुनः खारिज किया गया।

दिनांक 1 जनवरी, 2005 को पेटेंट (संशोधन अधिनियम), 2005 लागू हुआ जिसके द्वारा अधिनियम में विभिन्न संशोधन किए गए और अध्याय IV-ए जो ईएमआर के दावे के निर्णय का तरीका प्रदान करता था, पूरी तरह से हटा दिया गया।

दिनांक 9 जून, 2005 को रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा एक और रिट आवेदन दायर किया गया जिसमें पेटेंट नियंत्रक द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28 दिसंबर, 2004 को चुनौती दी गई, जिसके तहत रिट याचिकाकर्ताओं की ईएमआर की प्रार्थना को दूसरी बार खारिज किया गया था।

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की सत्यता को चुनौती देते हुए, पेटेंट नियंत्रक और भारत संघ ने दो अपीलें दायर की, जबकि दो अन्य अपीलें कार्यवाही में तीसरे पक्ष द्वारा पेश की गई, जो रिट आवेदन में स्वयं को प्रत्यर्थी के रूप में संयोजित करवाना चाहते थे। अपीलकर्ताओं द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2005 से अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं के अनुसार दिनांक 1 जनवरी, 2005 के पश्चात् ईएमआर के प्रश्न पर विचार किए जाने की गुंजाइश नहीं थी क्योंकि अधिनियम के अध्याय IVA को लोप कर दिया गया था तथा संशोधन अधिनियम की धारा 78 में, यह विशेष रूप से स्पष्ट कर दिया गया है कि मूल अधिनियम के अध्याय IV-ए के तहत दायर ईएमआर अनुदान के लिए पेश आवेदन जो दिनांक 01-01-2005 तक लम्बित थे, उन्हें मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत आने वाले पेटेंट हेतु एक दावे के तौर पर माना जाएगा तथा ऐसे आवेदन को अधिनियम की धारा 11(बी) की उपधारा (3) के तहत पेटेंट

अनुदान की जांच के निवेदन रूप में समझा जाएगा। अनिवार्य रूप से यह रूख था कि दिनांक 01.01.2005 के पश्चात् ईएआर अनुदान के लिए किसी भी लम्बित प्रकरण पर विचारण किए जाने का कोई आधार नहीं था अथवा किसी भी स्थिति में ईएमआर अनुदान से सम्बन्धित आवेदन, जिनका निस्तारण पूर्व में हो चुका है उन्हें विचार हेतु पुनजीर्वित नहीं किया जा सकता।

वर्तमान अपीलकर्ताओं का यह मत था कि जनवरी, 2005 के प्रथम दिन को ईएमआर के अनुदान के लिए रिट याचिकाकर्ता द्वारा कोई आवेदन लम्बित नहीं था तथा अधिनियम की धारा 78 में अस्थाई प्रावधान का प्रकरण के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है। इस और इंगित किया गया कि चूंकि ईएमआर की प्रार्थना का निस्तारण उस समय किया गया था जब संशोधन लागू नहीं हुआ था, अतः विधि के अनुसार उचित मंच के समक्ष आदेश को चुनौती देने का निहित अधिकार था।

उच्च न्यायालय का यह मत था कि रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति स्वीकार की जानी चाहिए थी। अतः अपील की अनुमति दी गई थी। तीसरे पक्ष के सम्बन्ध में प्रकरण के गुणावगुण पर विचार नहीं किया गया।

4. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने अपील के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया कि धारा 24ए और 24बी के कारण एक स्पष्ट अधिकार अर्जित हुआ

था तथा मूल आदेश दिनांकित 3.5.2002 तथा 16.12.2004 चुनौती के अधीन थे। आदेश दिनांकित 28.12.2004 को प्रतिप्रेषण पर पारित किया गया था तथा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आदेश दिनांकित 10.2.2006 के माध्यम से द्वारा आदेश को अपास्त किया गया। आक्षेपित आदेश निरसन की बात करता है। अर्जित अधिकार के सम्बन्ध में धारा 24 बी(1) का संदर्भ दिया गया है।

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि क़ानून का अभिप्राय इसके विपरीत प्रतीत होता है। अतः अस्थाई प्रावधान स्पष्ट रूप से लागू होता है, भले ही इसे धारा 11 बी(3) के तहत लंबित माना जाए।

6. वर्तमान मामले में, सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 6 (संक्षेप में सामान्य खण्ड अधिनियम) लागू होती है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता हैः-

> "6. निरसन का प्रभाव: - जहाँ कि यह अधिनियम, या इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् बनाया गया कोई (केंद्रीय अधिनियम) या विनियमन अब तक बनाई गई या एतत्पश्चात् बनाई जाने वाली किसी भी अधिनियमिति को निरसित कर देता है वहाँ जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो वह निरसन-

(क) उस निरसन के प्रभावशील होने के समय अप्रवृत्त या अविद्यमान किसी बात को, पुनर्जीवित नहीं करेगा; अथवा

(ख) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के पूर्व प्रवर्तन पर अथवा तद्धीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई किसी बात प्रभाव नहीं डालेगा; अथवा

(ग) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा; अथवा

(घ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के विरूद्ध किए गए किसी अपराध अपराध की बाबत उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर प्रभाव नहीं डालेगा; अथवा

(ड़) किसी यथा पूर्वोक्त ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के बारे में के किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगा,

और ऐसा कोई भी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार इस प्रकार संस्थित, चालू या प्रवर्तनशील रखा जा सकेगा और ऐसी कोई भी शास्ति, समपहरण या दण्ड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानो वह निरसन करने वाला अधिनियम पारित ही न हुआ था।

अधिनियम की धारा 24 बी(1) इस प्रकार हैः-

"24(बी) विशेष अधिकारों का अनुदान – (1) जहाँ धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत आने वाले पेटेंट के लिए दावा किया गया है और आवेदक के पास -

(ए) जहाँ एक अविष्कार भारत में या भारत के अलावा किसी अन्य देश में किया गया है और खोज का दावा दायर करने से पहले, 01 जनवरी 1995 को या उसके बाद एक सम्मेलन देश में समान लेख या पदार्थ का दावा करने वाले उसी अविष्कार के लिए एक आवेदन दायर किया गया है तथा 01 जनवरी 1995 को या उसके पश्चात् उचित परीक्षणों के आधार पर लेख या पदार्थ को बेचने या वितरित करने के लिए पेटेंट और अनुमोदन इस देश में

प्रदान किया गया है या धारा 5 की उपधारा 5 के तहत पेटेंट के लिए दावा करने की तारीख के बाद दिया गया है या

(बी) जहाँ भारत में अविष्कार किया गया है और खोज का दावा दायर करने से पहले, समान लेख या पदार्थ से संबंधित उस आविष्कार के निर्माण की विधि या प्रक्रिया के लिए 01 जनवरी, 1995 को या उसके बाद पेटेंट के लिए दावा किया गया है और धारा 5 की उपधारा 2 के अंतर्गत आने वाले पेटेंट के लिए दावा करने पर या उसके बाद भारत में पेटेंट प्रदान किया गया है, और इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी से लेख या पदार्थ को बेचने या वितरित करने की मंजूरी केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त की गई है। तब, केंद्र सरकार को स्वयं, उसके एजेंटों या लाइसेंसधारी के पास भारत में वस्तु या उत्पाद बेचने या वितरित करने का विशेष अधिकार होगा। इस संबंध में नियंत्रक द्वारा दी गई मंजूरी की तारीख से लेकर पांच साल की अवधि तक या पेटेंट अनुदान की तारीख या पेटेंट अनुदान के लिए आवेदन की अस्वीकृति की तारीख, जो भी पहले हो, तक पदार्थ।"

7. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा *मैसर्स हुसैन कायम दादा (इण्डिया) लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य* (एआईआर 1953 एससी 221) में देखा कि जब अपील का पहले से मौजूद अधिकार अस्तित्व में रहता है, तो आवश्यक निहितार्थ से अपील का अधिकार बनाने वाला पुराना कानून भी उस अधिकार की निरंतरता का समर्थन करने के लिए मौजूद होता है और इसलिए पुराने अधिकार को उस अधिकार के अभ्यास और प्रवर्तन को नियंत्रित करना चाहिए। अधिनियम को निरस्त करने में प्रतिकुल अभिप्राय के अभाव में, पुराने क़ानून के तहत अधिकार नष्ट नहीं होते हैं। *मैसर्स गुरचनण सिंह बलदेव सिंह बनामू यशवंत सिंह और अन्य* (1992 (1) एससीसी 428) में यह देखा गया कि वैधानिक प्राधिकारी द्वारा किसी आवेदन पर उचित विचार करने का अधिकार उस अधिनियम के निरस्त होने के बाद भी जीवित रहता है जिसके तहत विचार की मांग की गई थी।

8. "*मुख्य न्यायनिर्णयन अधिकारी बनाम मैगुइर* (साइमन ब्राउन जे) (1999 (2) एआईआर 859) में यह निरसित किया गया कि :

"अचूक अधिकार, दायित्व और देनदारियां (सी) द्वारा कवर की जाती हैं। यह फ्री लंका इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम

रणसिंघे (1964 (1) ईआर 457) द्वारा स्थापित किया गया। उक्त मामले में प्रिवी काउंसिल को सीलोन इंटरप्रिटेशन अध्यादेश 1900 को एक अंतर्निहित या आकस्मिक या आकस्मिक अधिकार के रुप में समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई और अधिनियम 1978 की धारा 16 में "अधिकार", "दायित्व" या "दायित्व" की व्याख्या के लिए भी वही दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। धारा स्पष्ट रूप से विचार करती है कि ऐसी स्थितियाँ होंगी जहाँ अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपाय को अधिकार या दायित्व लागू करने से पहले संस्थित करना पड़ सकता है और यह इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है।"

9. विद्वान एकल न्यायाधीश का यह मत कि संशोधन अधिनियम की धारा 78 के प्रावधानों का उन कार्यवाही पर कोई अनुप्रयोग नहीं है जो निश्चित दिवस से पूर्व निष्कर्षित समाप्त हो गई थीं, इस विवाद्यक बिन्दु को विनियमित करने हेतु सही दृष्टिकोण प्रतीत होता है। चूंकि विचाराधीन अध्याय IV-ए को केवल निरस्त कर दिया गया था। अतः स्थिति को सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के अनुरूप तय किया जाना चाहिए। धारा 78 के प्रावधान सशर्त प्रावधान हैं और उनका आशय ऐसे प्रकरणों को सम्मिलित करने का नहीं है

जहां संशोधित अधिनियम की धारा 21 के संदर्भ में ईएमआर के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया था। जैसा कि उपरोक्त वर्णित है, अध्याय IV ए निरस्त कर दिया गया था। निरसन के प्रभाव को सामान्य खण्ड अधिनियम की धारा 6 की पृष्ठभूमि में देखा जाएगा। खण्ड पीठ के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है तथा विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश लागू होगा। अतः ऐसी परिस्थितियों में अपील बिना कोई व्यय का आदेश दिए स्वीकार की जाती है।

अपील स्वीकार।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **प्रतिभा सिंह राठौड़ (आर. जे. एस.)** द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।